संख्या-425/2026/आर०एफ०-520/नौ-9-2026/001-ई-2033761

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
कटरा गुलाब सिंह, जनपद-प्रतापगढ़/बेलहरकला, जनपद-सन्तकबीरनगर/बरवर, ओयल ढखवा, जनपद-लखीमपुर-खीरी/रामकोला, जनपद-कुशीनगर/सुरियावाँ, जनपद-भदोहीं/सलोन, जनपद-रायबरेली/मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती/इकदिल, जनपद-इटावा/सहावर, जनपद-कासगंज।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायतों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि रू० 1264.01 लाख (रूपये बारह करोड़ चौंसठ लाख एक हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **25** प्रतिशत की धनराशि रू० 287.375 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र) अनुदान संख्या-37, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पंचायत

अनुदान संख्या-37 	**(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	निकाय/ जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी0पी0 आर0 के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/ प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(4) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कटरा गुलाब सिंह, जनपद-प्रतापगढ़।	1. वार्ड नं0 09 में स्टेट बैंक से महेश पटवा के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	17.50		
		2. वार्ड नं0 03 सराय भूपति में संगम फर्नीचर के दुकान से सार्वजनिक शौचालय तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	21.57		
		3. वार्ड नं0 05 में बगियापुर पाल बस्ती में रूपेश पाल के घर से शिव मंदिर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	21.98		
		4. नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह में पथ प्रकाश की व्यवस्था के अधिष्ठापन का कार्य।	39.37		
		योग	**100.60**	**100.00**	**25.00**
2	नगर पंचायत, कटरा गुलाब सिंह, जनपद-प्रतापगढ़।	1. नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह में पथ प्रकाश की व्यवस्था के लिए आक्टेगनल पोल के अधिष्ठापन का कार्य।	34.72		
		2. नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह में पथ प्रकाश की व्यवस्था हेतु विभिन्न स्थानों पर हाईमास्ट मय कम्प्लीट अधिष्ठापन का कार्य।	32.97		
		3. नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह में पथ प्रकाश की व्यवस्था हेतु विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति का कार्य।	32.49		
		योग	**100.18**	**100.00**	**25.00**
3	नगर पंचायत, बेलहरकला, जनपद-संतकबीरनगर।	नगर पंचायत बेलहरकला के वार्ड नं0 10 में मुख्य मार्ग से सूर्यकान्त, साधूसरन, रामअबध आदि के मकान मार्ग पर रिटेनिंग वाल, सी0सी0 रोड का निर्माण।	50.00		
		योग	**50.00**	**50.00**	**12.50**
4	नगर पंचायत, बरवर, जनपद-लखीमपुर-खीरी।	1. वार्ड नं0-10 बलरामनगर में मशील के मकान से होली चौराहे तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	18.76		
		2. वार्ड 03 देवीस्थान मकदूम के मकान से प्रकाश तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	7.77		
		3. वार्ड 05 रोशननगर में नबाबू के मकान से असलम के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.61		
		4. वार्ड 02 मोलवीगंज में वहीद के मकान से जहीर के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.54		
		5. वार्ड 10 बलराम नगर में कालीचरन के मकान से मैरिज हाल तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.66		

		6. वार्ड 03 देवीस्थान में विनोद पाल के मकान से गुडिया मंदिर के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.13		
		7. वार्ड 06 जलीलनगर में हासिम के मकान से तौकीर के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.17		
		8. वार्ड 06 जलीलनगर में इरफान के मकान से वलीउल्ला के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.70		
		9. वार्ड 05 रोशननगर में अली मोहम्मद के मकान से राम लड़ैते के मकान बाया मालधनी के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	15.61		
		10. वार्ड 03 देवीस्थान अय्यूब खॉ के मकान से बाकेलाल तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.90		
		11. वार्ड 08 शास्त्रीनगर में बाबा बैटी की दुकान से साबिर अली की दुकान तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	15.74		
		12. वार्ड 05 रोशननगर में अजीज वाली मस्जिद से कासिम के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.76		
		13. वार्ड 07 विजयनगर में संदीप दिवेदी के मकान से आशीष शुक्ला के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	9.86		
		14. वार्ड 11 सुभाषनगर में मिठउवा कुआं से गंगाराम पाल के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य।	13.88		
		योग	**117.09**	**100.00**	**25.00**
5	नगर पंचायत, ओयल ढखवा, जनपद-लखीमपुर-खीरी।	1. हाईमास्ट लाइट 16मी0 आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य- (1-मो0 चमरौधा में देवी मन्दिर प्रांगण, 2-मो0 चमरौधा में बाल्मीकि मन्दिर, 3-रानी अनुराधा देवी विद्यालय स्टेशन रोड, 4-कन्या जू0हा0स्कूल ओयल, 5-संविलियन विद्यालय ओयल, 6-इस्लामियां स्कूल, 7-कार्यालय नगर पंचायत ओयल ढखवा, 8-मो0 मुराउनटोला में पम्प हाउस के पास, 9-मो0 महावीरी में जलकल परिसर, 10-एमआरएफ सेन्टर के सामने, 11-वेट वेस्ट प्लान्ट के सामने, 12-काशीराम कालोनी में सार्वजनिक शौचालय के सामने, 13-शिवाला मन्दिर के प्रांगण में)।	99.87		
		2. मो0 महावीरी में वसीम की दुकान से ताहिरा के घर तक एवं मुस्ताक के घर से लतीफ के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.03		
		3. मो0 शिवाला में रामलखन के घर से मोहम्मद सफी के मकान होते हुए मुनीम जी एवं शिव शंकर के घर से छन्नू के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.50		
		4. खीरी सम्पर्क मार्ग में नगर पंचायत ओयल ढखवा एम0आर0एफ0 गेट तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	23.90		
		योग	**154.30**	**100.00**	**25.00**
6	नगर पंचायत, रामकोला, जनपद-कुशीनगर	नगर पंचायत रामकोला में रामकोला-कसया मार्ग (शहीद चौक से बलुआ चौराहा, महाराणा प्रताप चौक होते हुए मथौली मोड़ तक सड़के के दोनों तरफ) 07 मीटर आक्टागोनल पोल एवं 120 वाट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट सहित सम्पूर्ण अवस्थापना कार्य।	100.87		
		योग	**100.87**	**100.00**	**25.00**

7	नगर पंचायत, सुरियावॉं, जनपद-भदोहीं	1. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 01 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		2. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 02 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		3. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 03 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		4. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 04 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		5. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 05 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		6. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 06 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		7. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 07 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		8. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 08 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		9. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 09 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		10. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 10 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		11. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 11 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		12. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 12 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		13. नगर पंचायत सुरियावॉं वार्ड नं0 13 में हाई मास्ट अधिष्ठापन का कार्य।	7.68		
		14. नगर पंचायत सुरियावॉं सीमान्तर्गत 30 मी0 फ्लेग हाई मास्ट आपूर्ति व स्थापना का कार्य।	9.25		
		योग	**109.09**	**100.00**	**25.00**
8	नगर पंचायत, सलोन, जनपद-रायबरेली	1. नगर पंचायत सलोन के अन्तर्गत वार्ड नं0 2 मोहल्ला पैगम्बरपुर पश्चिमी में दीपक यादव के मकान से बिन्दादीन के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	17.25		
		2. नगर पंचायत सलोन के अन्तर्गत वार्ड नं0 01 मोहल्ला पूरे बाबू में रायबरेली प्रतापगढ़ बाईपास से सुनील कुमार के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	7.31		
		3. नगर पंचायत सलोन के अन्तर्गत वार्ड नं0 5 मोहल्ला गोरही में विकास कौशल के मकान से जुनैद के मकान व नईम के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	11.18		
		4. नगर पंचायत सलोन के अन्तर्गत वार्ड नं0 07 मोहल्ला पूरे शिवदीन मुज्जम खां का पुरवा में डामर रोड से फैयाज के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	10.69		

		5. नगर पंचायत सलोन के अन्तर्गत वार्ड नं0 03 मोहल्ला औना सदरा में हरि किशन के मकान से राम यज्ञ के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	5.02		
		6. Estimate of Supply and Fixing of 7 mtr[G.I. octagonal pole with 150 watt LED Street Light at ward no. 1 to 5 in Nagar Panchayat Salon[Raebareli.	18.55		
		7. Estimate of Supply and Fixing of 7 mtr[G.I. octagonal pole with 150 watt LED Street Light at ward no. 6 to 10 in Nagar Panchayat Salon[Raebareli.	18.55		
		8. Estimate of Supply and Fixing of 7 mtr[G.I. octagonal pole with 150 watt LED Street Light at ward no. 11 to 15 in Nagar Panchayat Salon[Raebareli.	18.55		
		योग	**107.10**	**100.00**	**25.00**
9	नगर पंचायत, मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती	1. वार्ड नं0 11 शहीद बद्री प्रसाद नगर में पिच मार्ग से अमृत अस्पताल तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	10.14		
		2. वार्ड नं0 11 शहीद बद्री प्रसाद नगर मॅंझरिया रानीपुरव में पिच मार्ग से हनुमान मंदिर होते हुए गंगाराम के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	24.79		
		3. वार्ड नं0 11 शहीद बद्री प्रसाद नगर में रामकेवल के मकानसे राम शंकर के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.07		
		4. वार्ड नं0 13 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में लालगंज मार्ग से राम सिंह के दुकान के आगे तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	54.88		
		योग	**100.88**	**100.00**	**25.00**
10	नगर पंचायत, इकदिल, जनपद-इटावा	1. Nagar Panchayat EKdil Station Road Supply & Fixing LED Street Light With 6 meters Round Decorative Black Pole Specificition & Retes Are Taken From SOR For Electrice Works Year 2018 & 19 Tatal Distance ¼ Length Appro 600m1/2 1/4Span 20 mtr1/2 Pole to Pole-50X143600	73.00		
		2. 12 Watt White Led Based Soler Street Lighting System With 30Ah Battery Capacity 75Wp Minimum Power Output of Pv Module. White Light Emitting Diode W-Led Rating 12 Watt Total Luminous Flux 1500 Lm Five Year Warranty 5 Meeter Gi Pole With Instalation.	52.00		
		3. Stainless Steel Grade 304 CGEPL-70*2 Leter Sst Win Bin Hanging Dustbin With Instalation.	45.00		
		4. 11 Meters High Mast Light Tower For Large Area With Led Flood Lighting System With 6 Led Flood Light Luminaires.	29.50		
		योग	**199.50**	**199.50**	**49.875**

11	नगर पंचायत, सहावर, जनपद-कासगंज	1. 25 फुटा रोड पर छोटे ड्राइवर के घर से दिलशाद गार्डन तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	11.21		
		2. 25 फुटा रोड पर रमन के घर से कल्लू के खेत तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	28.65		
		3. हुसैनी मोहल्ला बोंदर मार्ग से मुशाहिद के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.57		
		4. चहका रोड से सुहैल के मकान तक एवं जादूगर के घर से खाली प्लाट तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.20		
		5. कमरूद्दीन के मकान से बोंदर रोड तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.05		
		6. डॉ लईक के घर से शोकीन के घर तक एवं पप्पू के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.05		
		7. चहका रोड से मजार तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.78		
		8. डॉ के0पी0 सिंह के घर से आसिफ अली के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.32		
		9. शमसुद्दीन के घर से अनवार के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.50		
		10. डॉ श्रीकान्त की दुकान से मुजीब अंसारी के घर तक एवं जावेद के घर से अतहर मोहम्मद के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	7.18		
		11. बोंदर रोड बोबी सीमेंट की दुकान से ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल होते हुए मोहम्मद सिद्दीक के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.00		
		12. बोंदर रोड से यासीन सिद्दीक एवं ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से शफात के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.75		
		13. चहका रोड से पजाबा पुलिया तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	17.53		
		14. मोहल्ला मौरी महावीर मौर्य के घर से शाहिद के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.59		
		योग	**124.40**	**100.00**	**25.00**
		कुल योग (नगर पंचायत : अनुदान सं0-37)	**1264.01**	**1149.50**	**287.375**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विदयुत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/ 9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यों के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।

(15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(18) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक-31.03.2026 तक करते हुए उपयोग दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0 सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।

(22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक- 04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(23) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 287.375 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021930500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-9-582-X-2025-26**, दिनांक- **27** मार्च, **2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 27-03-2026
19:49:25
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-425/2026/आर0एफ0-520 /नौ-9-2026/001-ई-2033761, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-प्रतापगढ़/सन्तकबीरनगर/लखीमपुर-खीरी/कुशीनगर/भदोहीं/रायबरेली/बस्ती/इटावा/कासगंज।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. पी0एम0यू0 यूनिट/बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-27/03/2026

प्रेषण संख्या:- 425
आवंटन आदेश संख्या:- 001-425-2026-RF520-9-9-2026-001-E-2033761
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	इटावा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4987500 4987500	4987500 4987500
2	बस्ती-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 129148000	2500000 129148000
3	रायबरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 52991000	2500000 52991000
4	लखीमपुर खीरी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 89555000	5000000 89555000
5	प्रतापगढ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 45000000	5000000 45000000
6	भदोही-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 43500000	2500000 43500000
7	कुशीनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 124730000	2500000 124730000
8	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1250000 192109000	1250000 192109000
9	कांसगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 92463000	2500000 92463000
	योग	वर्तमान प्रगामी	28737500 774483500	28737500 774483500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्तासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सतहत्तर करोड़ चौवालीस लाख तिरासी हजार पाँच सौ

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव